

आदेश न इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एरा, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 664/2023 (धारा 14 शिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स सर्विसेज लिमिटेड, ग्याहरवी मंजिल, टावर ए, 11<sup>th</sup> फ्लोर, पैगिगमुला  
विजनेस पार्क, सोनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री देवेन्द्र हिसारिया पुत्र श्री श्याम सुन्दर हिसारिया,  
पता:- डी-709, सातवीं मंजिल, ब्लॉक डी, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523-524, ग्राम नेवटा,  
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर  
एवं 2, बाटा शोरूम के पास, वेंकटेश्वर कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्रीमती ईला हिसारिया पत्नी श्री देवेन्द्र हिसारिया,  
पता:- डी-709, सातवीं मंजिल, ब्लॉक डी, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523-524, ग्राम नेवटा,  
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर  
एवं 2, बाटा शोरूम के पास, वेंकटेश्वर कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर  
एवं रुद्र एन्टरप्राइजेज, 6/312, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री हितेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री देवेन्द्र हिसारिया के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. डी-709, सातवीं मंजिल, ब्लॉक डी, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523-524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 1714 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 13.09.2018 को राशि 39,94,832/- रुपये, दिनांक 19.09.2018 को राशि 01,00,000/- रुपये, कुल राशि 40,94,832/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
2. 14.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

५५  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **40,94,632/-** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **43,41,571/-** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **14.09.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री देवेन्द्र हिसारिया के स्वामित्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. डी-709, सातवीं मंजिल, ब्लॉक डी, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523-524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 1714 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक **13.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर